

2026
9

FORM NO. III

फर्दअहकाम
नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
मोहन पुत्र सीताराम बनाम साखार.....किस्म मु
मिसल न० 182/2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल्राजज	नम्यर व अहकामज तामील मे
30/1/26	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी हरिमोहन पुत्र सीताराम ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र सीताराम नि० दुर्जनपुरा नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 93 में काश्तगार का नाम मोहन पुत्र सीताराम दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र सीताराम के स्थान पर हरिमोहन पुत्र सीताराम किया जावे। निर्णय आज दिनांक 30/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हाकर दाखिल दफतर हो।</p>	

